

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1979/आषाढ़ 22, 1901
No. 283] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1979/ASADHA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1979

का. आ. 396 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की
धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार
एल्लद्वारा 15 जुलाई, 1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त
अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी

हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध के ल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला त्रिचूर में त्रिचूर तालुक के राजस्व ग्राम कोझुकुल्ली की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[संख्या एस-38013/9/79-एच. आई.]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1979

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

“The areas within the Revenue Village of Kozhukully in Trichur Taluk in Trichur District.”

[No. S-38013/9/79-H1]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.